न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 04/2018 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2018/00014**

1. सुरेन्द्र कौर उर्फ छिन्दों पुत्री प्यारासिंह जाति जटसिख निवासी 57 जीबी हाल Brampton province of Ontario (Canada) Through Special power of Attorney Parthvipal singh S/o Avtar singh जाति जटसिख निवासी चक 39 जीबी तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. बलविन्दरसिंह दत्तक पुत्र प्यारासिंह जाति जटसिख निवासी 57 जीबी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत रामसिंहनगर पंचायत समिति अनूपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. सेवा उर्फ जसवीर कौर पुत्री प्यारा सिंह जाति जटसिख निवासी 57 जीबी हाल Brampton province of Ontario (Canada) Through Special power of Attorney Kewal krishan S/o Munshi ram by cast Mehts V.P.O Badalgarh tehsil Rital District Fatehabad hariyana.

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री नायब सिंह — अभिभाषक अपीलांट
श्री विजय कुमार पारीक — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

निर्णय

दिनांक 13.04.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 12.10. 2017 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि —

1— वादगत भूमि चक 54 जीबी के मुरब्बा नंबर 22, पत्थर नं. 228/456 के 1.389 हैक्टयर भूमि, मुरब्बा नंबर 27 पत्थर संख्या 236/457 के 1.478 हैक्टयर भूमि, मुरब्बा नंबर 37 पत्थर संख्या 226/457 के 0.770 हैक्टयर भूमि, इस प्रकार कुल 3.637 हैक्टयर भूमि एवं चक 57 जीबी का मुरब्बा 12 पत्थर संख्या 226/447 की 0.126 हैक्टयर भूमि, मुरब्बा नंबर 20 पत्थर संख्या 233/448 की

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

0.101 हैक्टयर भूमि अपीलांट के पिता प्यारा सिंह पुत्र पाखर सिंह के नाम दर्ज रही। अपीलांट के पिता प्यारा सिंह के स्वर्गवास के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने तहसीलदार अनूपगढ से गोदनामा के आधार पर विरासतन इंतकाल आदेश क्रमांक भू.अ/09./3833 दिनांक 29.10.2009 करवाया। तहसीलदार अनूपगढ के उक्त आदेश दिनांक 29.10.2009 के आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत रामसिहपुर ने चक 57 जीबी का मुरब्बा 12 पत्थर संख्या 226/447 की 0.126 हैक्टयर भूमि एवं मुरब्बा नंबर 20 पत्थर संख्या 233/448 की 0.101 हैक्टयर भूमि का नामांतरकरण संख्या 115 दिनांक 05.11.2009 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में स्वीकार किया। तहसीलदार अनूपगढ के उक्त आदेश दिनांक 29.10.2009 एवं सरपंच ग्राम पंचायत रामसिंहपुर द्वारा दर्ज नामांतरकरण संख्या 115 के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के समक्ष प्रस्तुत हुई। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 12.10.2017 द्वारा अपीलांट की अपील को मियाद के आधार पर खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के उक्त आदेश दिनांक 12.10.201 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की अपील कतई मियाद बाहर नही थी और ना ही धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत दिये गये शपथ–पत्र का खण्डन ही विपक्ष पार्टी ने किया था मगर फिर भी अदालत मातहत ने अपील को मियाद बाहर मानकर खारिज कर दिया जो न्यायोचित नहीं है। मियाद के बिन्दू पर अपील को खारिज करने से पूर्व अदालत मातहत ने अपील के गुण अवगुण पर को विचार ही किया जो किया जाना कानूनन आवश्यक था। अपीलांट भारत से बाहर निवास कर रही है उसने पृथ्वीपाल सिंह को मुख्तयारनामा दे रखा है निर्णय की नकल का प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.11.2017 को दिया गया तथा नकल दिनांक 07.12.2017 को प्राप्त हुई मगर पृथ्वीपाल सिंह स्वयं दिनांक 30.12.2017 से दिनांक 09.01.2018 तक वायरल बुखार से बिमार होने के कारण चलने फिरने से असमर्थ रहा अब ठीक होते ही आकर अपील पेश कर रहा है। देरी माफ का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र के पश है देरी माफ करके अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जावें। अपीलांट के पिता प्यारा सिह के विधिक वारिसान अपीलांट एवं अपीलांट की बहने सतो उर्फ सतनाम कौर, सेवा उर्फ जसवीर कौर एवं

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बलविन्द्र सिंह हैं। अपीलांट के पिता प्यारा सिंह ने अपने जीवनकाल में अपनी उक्त कृषि भूमि के संबंध में अपीलांट एवं अपीलांट की बहनों सतो उर्फ सतनाम कौर, रेवा उर्फ जसवीर कौर के पक्ष में अपनी स्वेच्छा में दिनांक 08.08.1989 को वसीयत पंजीकृत करवाई। लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने तहसीलदार अनूपगढ़ से एक पक्षीय तौर पर गोदनामा के आधार पर विरासतन इंतकाल आदेश दिनांक 29.10.2009 को प्राप्त करके उसके आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत रामसिहपुर से एक पक्षीय तौर पर उक्त वादगत भूमि में चक 57 का मुरब्बा 12 पत्थर संख्या 226/447 की 0.126 हैक्टयर भूमि एवं मुरब्बा नंबर 20 पत्थर संख्या 233/448 की 0.101 हैक्टयर भूमि का नामांतरकरण संख्या 115 दिनांक 05.11.2009 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने स्वीकार करवाया। तहसीलदार अनूपगढ़ के आदेश के प्रकाश में सरपंच ग्राम पंचायत रामसिंहपुर द्वारा एक पक्षीय तौर पर अपीलांट को बिना सुने, बिना नोटिस दिये अनुचित व अवैध तरीके से रेस्पोडेंन्ट संख्या 1 के पक्ष में इंतकाल स्वीकृत कर दिया, जो न्यायोचित नहीं था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट की द्वितीय अपील में तहसीलदार अनूपगढ़ के मूल निर्णय दिनांक 21.10.2009 के आदेश की सत्यप्रति पेश नही की गई है, ना ही फोटो प्रति पेश की गई है। अनकम्पलीट एवं डिफेक्टिव है उक्त अपील में किसी भी स्तर पर तथ्यों पर सुनवाई नही हो सकती क्योंकि अपील अधुरी है। रेवेन्यु कोर्टस मैनुअल के प्रावधानों के विपरित हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की प्रथम अपील को मियाद बाहर के आधार पर खारिज की थी फिर भी अपीलांट ने इस न्यायालय में भी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अपीलांट ने निर्णय की नकल का प्रार्थना—पत्र दिनांक 09.11.2017 को दिया गया तथा नकल दिनांक 07.12.2017 को प्राप्त हुई मगर अपीलांट ने अपील 12.01.2018 प्रस्तुत की। अपीलांट ने इस संबंध में कोई संतोषप्रद कारण भी प्रस्तुत नही किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ द्वारा इंतकाल दर्ज करने से पूर्व सार्वजनिक सूचना भी दिनांक 07.04.2010 को जारी की गई। जिसका प्रकाशन राजस्थान पत्रिका कें दिनांक 08.04.2010 के अंक में प्रकाशन करवाया। तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा इंतकाल दर्ज करने के संबंध में पटवारी हल्का से मौका व रिकार्ड की जांच कर रिपोर्ट भी मांगी गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ ने

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नियमानुसार कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टिांत का हवाला दिया हैं।

1. आरसीएम द्वितीय रूल 30,
2. आरआरडी 1980 पेज नं. 228
3. आरआरडी 1988 पेज नंबर 124
4. आरआरडी 1994 पेज नंबर 703
5. आरआरडी 2008 पेज नंबर 755

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ ने चक 57 जीबी का मुरब्बा 12 पत्थर संख्या 226/447 की 0.126 हैक्टयर भूमि एवं मुरब्बा नंबर 20 पत्थर संख्या 233/448 की 0.101 हैक्टयर भूमि का इंतकाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया। जिसके आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत रामसिंहपुर ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में इंतकाल संख्या 115 दर्ज किया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ के समक्ष अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की थी। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ ने अपने निर्णय दिनांक 12.10.2017 को करते हुए अंकित किया कि प्रश्नगत इंतकाल के विरूद्ध लगभग 02 वर्ष पश्चात अपील पेश की है। विलम्ब से प्रस्तुत अपील तभी ग्राहय है जब उसके प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षमा किया जा सके। विलम्ब तभी क्षमा किया जा सकता है जब धारा 5 मियाद अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र मे कोई संतोषप्रद एवं विश्वसनीय कारण बताया जा सके। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत जो प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें विलम्ब का कारण सन्तोषजनक एवं विश्वसनीय ना होने पर अपील अपीलांट को खारिज कर दिया। जो कि नियमानुसार उचित हैं। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.10.2017 नियमानुसार जारी किया गया हैं। हम अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.10.2017 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते। अतः अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.10.2017 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 13.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर